



ईमेल आईडी- info@ukmc.in
दूरभाष / फ़ैक्स नं० 0135-2781201

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

डॉ० आर०के० जैन, अध्यक्ष उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2021 को अपराह्न 2.00 बजे मा० आयोग की आहूत बैठक का कार्यवृत्त-

- दिनांक 17.07.2021, को आहूत बैठक में उपस्थित महानुभाव एवं सदस्यों की उपस्थिति का विवरण:-
- डॉ० आर०के० जैन, मा० अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
- श्री मजहर नईम नवाब, मा० उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
- श्री सरदार इकबाल सिंह, मा० उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
- श्रीमती सीमा जावेद, मा० सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
- श्री गुलाम मुस्तफा, मा० सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
- श्री वरीश उर्फ राव काले खां, मा० सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
- श्री जे.एस.रावत, सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
- श्रीमती शमा प्रवीन, वैयक्तिक सहायक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।

बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित समस्त महानुभाव, सदस्यों एवं कर्मचारियों का स्वागत करते हुए बैठक के एजेण्डानुसार बैठक प्रारम्भ की गयी।

एजेण्डा बिन्दु सं०-1:- के अनुसार मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत आयोग के कृत्य एवं कर्तव्यों के उल्लेखानुसार आयोग अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन कर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर सरकार के माध्यम से विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी, जिसमें निर्णय हुआ कि उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित समस्त निर्माण कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन श्री मजहर नईम नवाब, मा० उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून तथा समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को वितरित समस्त छात्रवृत्तियों, व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा कौशल विकास के अन्तर्गत, स्वरोजगार या अन्य प्रकार से अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला अनुदान आदि व्यक्तिगत लाभप्रद योजना की प्रगति का मूल्यांकन सरदार इकबाल सिंह, मा० उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून द्वारा किये जाने पर सहमति हुई। मा० उपाध्यक्षगण जिस क्षेत्र में प्रगति मूल्यांकन के भ्रमण के क्रियाकलाप में रहेंगे, उस जनपद/क्षेत्र के सदस्यों को भी सम्मिलित कर मूल्यांकन आख्या नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही:-मा० उपाध्यक्षगण/सदस्यगण)

एजेण्डा बिन्दु सं०-2:- के अनुसार मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि मा० आयोग में समस्त शिकायती पत्र निर्धारित आवेदन प्रारूप व रु० 10/- के शपथ-पत्र सहित प्राप्त किया जाये। यदि किसी शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत निर्धारित प्रारूप व शपथ-पत्र पर अपूर्ण सूचना उपलब्ध करायी जाती है, तो शिकायतकर्ता से पुनः पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करते हुए उसे अग्रेत्तर कार्यवाही उपरान्त सुनवाई में प्रस्तुत किया जाय। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्षगण व सदस्यगण तथा सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून विशेष रूप से ध्यान आकृषित कर अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:-मा० उपाध्यक्षगण/सदस्यगण/सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग)

एजेण्डा बिन्दु सं०-3:- बैठक में श्री मजहर नईम नवाब, मा० उपाध्यक्ष एवं सरदार इकबाल सिंह, मा० उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून द्वारा अवगत कराया कि मा० आयोग में गतिमान/विचाराधीन शिकायती प्रकरणों में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना दी जाती है। कतिपय प्रकरण अतिगोपनीय होते हैं, जिन्हें विपक्षीयों द्वारा दुरुपयोग कर आयोग की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में मा० आयोग में सुनवाई के गतिमान प्रकरणों में सूचना दी जानी उचित नहीं है। मा० आयोग

क्रमशः पृष्ठ सं० 2 पर

के निर्णय के पश्चात् ही सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना दी जानी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से सहमति हुई कि मा0 आयोग के गतिमान/विचाराधीन प्रकरणों में सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना न दी जाय। प्रकरण में मा0 आयोग के अन्तिम निर्णय के पश्चात् ही सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना दी जाय। सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही:-सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून)

अतः उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-2002 में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए आयोग की गरिमा को बनाये रखने के साथ ही बैठक सधन्यवाद समाप्त की जाती है।

(डॉ० आर०के० जैन)

अध्यक्ष,

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।

कार्यालय-उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून

पत्रांक 193 /उ०अ०स०/बैठक-कार्यवृत्त/2021-22 दिनांक 19 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा० उपाध्यक्षगण, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
2. मा० सदस्यगण, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
3. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।